सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

दशम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{16 कार्तिक, 1945 (श०)}}{\text{07 नवम्बर, 2023 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 146

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	92
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग	..	..	12
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	..	17
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	06
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	03
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	02
(7)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	..	..	03
(8)	परिवहन विभाग	..	..	07
(9)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	03
(10)	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	..	..	01
			कुल योग --	146

कमरा का निर्माण करना

*1. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला मुख्यालय में स्थित गणेशदत्त महाविद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या लगभग 32000 है, इसके अलावा लगभग 3000 छात्र इंटर के हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में छात्रों को पठन-पाठन के लिये लगभग 35 कमरा ही उपलब्ध है, जो कि विद्यार्थियों के अनुपात में बहुत कम है, पर्याप्त कमरा नहीं होने से छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में विद्यार्थियों के अनुपात में कमरा बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सी0डी0पी0ओ0 की प्रतिनियुक्ति करना

*2. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ0जा0))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला में सहदेई बुजुर्ग प्रखंड में सी0डी0पी0ओ0 के पद पर पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति नहीं होने एवं अन्य पदाधिकारी के द्विस्थलीय प्रभार में रहने की वजह से प्रखंड में सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है और जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में सी0डी0पी0ओ0 के रिक्त पद पर कबतक प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*3. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड आमस के ग्राम पंचायत महुआवां के ग्राम-चतुरेखाप में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने से ग्रामीण छात्र-छात्राओं को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध कार्रवाई

*4. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत दिलारपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जोततालिब, दिलारपुर में नामांकित 700 छात्र-छात्राओं में से सामान्यत: 150 छात्र-छात्राएँ ही उपस्थित रहते हैं, परन्तु उक्त विद्यालय की प्रधानाध्यापिका 70 प्रतिशत की उपस्थिति दिखाकर वर्षों से मध्याह्न भोजन की राशि निकाल रही हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*5. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक (+2) विद्यालय, डुमरी है, जिसमें मात्र चार कमरों में वर्ग-1 से वर्ग-12 तक की पढ़ाई होती है जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन एवं शिक्षकों को अध्यापन कराने में कठिनाइयाँ हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उच्चतर माध्यमिक (+2) विद्यालय, डुमरी का भवन निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का स्थानान्तरण

*6. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत जिला संवर्ग के 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों (सामान्य एवं उर्दू नियमित शिक्षकों) का अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु जनवरी, 2023 में ही शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों से आवेदन एवं जिला का विकल्प लिया गया था लेकिन अबतक तबादला नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त शिक्षकों के स्थानान्तरण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*7. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के ग्राम पंचायत, वीरनगर पश्चिम में दीदारबक्स उच्च विद्यालय, वीरनगर-विसहरिया का चहारदीवारी नहीं होने के कारण अतिक्रमण किया जा रहा है एवं छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मिट्टी भराई एवं चहारदीवारी का निर्माण कार्य

*8. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड संझौली, पंचायत संझौली के छुलकार ग्राम में परशुराम उच्च विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का चहारदीवारी नहीं रहने तथा गहराई के कारण वर्षा के समय मैदान में जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के मैदान से स्थाई तौर पर जल की निकासी हेतु मिट्टी भराई एवं चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*9. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय, लट्टा का भवन जर्जर है, जिसके कारण परिजनों एवं बच्चों में भय का माहौल बना रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय में लगभग 600 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और किसी भी समय दुर्घटना होने की संभावना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का नया भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाना

*10. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ० जा०))--स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 22 फरवरी, 2023 को प्रकाशित खबर ''राज्य के 5131 स्कूलों में लगेगी सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन नहीं होने के कारण छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, छात्राएं स्कूल नहीं जा पाती या बीच में ही स्कूल छोड़कर जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने की घोषणा की गई थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अगिआँव विधान सभा के स्कूलों सहित राज्य के सभी मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आधुनिक सुविधा युक्त बनाना

*11. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय स्थित आई0जी0 स्टेडियम पूर्णियाँ में डे-नाईट क्रिकेट मैच खेलने के लिए फ्लड लाइट, पिच, कमेंटेटर बॉक्स, ड्रेसिंग रूम, शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं है, जिससे यहाँ राज्यस्तरीय मैच के आयोजन में परेशानी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्टेडियम को आधुनिक सुविधा युक्त बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*12. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड के दक्षिणी घोघा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, मलाही टोला एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, घोघा बाजार, तुनिया विशुनपुर पंचायत के राजकीय बुनियादी विद्यालय, नगदहिया एवं नगर पंचायत, चनपटिया के राजकीय बुनियादी विद्यालय, वार्ड-02 में विद्यालय भवन नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*13. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0 जा0))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखंड के ग्राम+पंचायत-सिंघासो में आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-353 में पिछड़ा वर्ग के लिए सेविका चयन हेतु वर्ष 2018 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर 12 अभ्यर्थियों का मेधा सूची तैयार करने के उपरान्त श्रीमती मधु कुमारी की नियुक्ति के 9 महीने कार्य करने के बाद सेवा समाप्त करते हुए मेधा सूची में कम अंक वाले के साथ सामान्य जाति की अभ्यर्थी श्रीमती गुडिया कुमारी का चयन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिस्फी के पत्रांक-93 मु0, दिनांक 31 अगस्त, 2019 द्वारा नियम के विरूद्ध कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सेविका पद पर योगदान लम्बित रखने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई के साथ उक्त मेधा सूची में योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण

*14. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखंड के ग्राम पंचायत अहमदपुर हरना अंतर्गत ग्राम-सालेपुर पूर्वी में करीब 250 घर महादलित परिवार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में पर्याप्त महादलित आबादी होने के बावजूद भी महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-सालेपुर पूर्वी में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*15. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर प्रखंड में बालिका उच्च विद्यालय की स्वीकृति विभाग द्वारा दे दी गयी है, परंतु भवन के अभाव में पठन-पाठन नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड के बालिका उच्च विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*16. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बोचहां विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड मुशहरी के मध्य विद्यालय, जमालाबाद, मध्य विद्यालय, खबरा और मध्य विद्यालय, शहबाजपुर का भवन जर्जर है जिसके कारण छात्र एवं शिक्षक असुरक्षित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाम की त्रुटि में सुधार

*17. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत मटिहानी प्रखंड में वार्ड सं0-18 स्थित राजकीय उच्च विद्यालय, सिंहमा के जर्जर भवन को तोड़कर आधारभूत संरचना के तहत नए भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, परंतु सिंहमा के स्थान पर सिंहमा दियारा लिखने के कारण आज तक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो सका, यदि हाँ, तो सरकार इस नाम में त्रुटि को सुधार कर कबतक विद्यालय निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शारीरिक परीक्षण अनुदेशक की बहाली

*18. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा अंतर्गत अंगीभूत अंजबित सिंह महाविद्यालय अवस्थित है जिसमें शरीरिक परीक्षण अनुदेशक (पीटीआई) का पद वर्षों से रिक्त रहने के कारण वहां के छात्र-छात्राएँ शारीरिक प्रशिक्षण से वंचित हैं तथा शारीरिक प्रशिक्षण के अभाव में खेल-कूद के प्रति रूचि की कमी व प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महाविद्यालय में स्थाई/संविदा के आधार पर शारीरिक परीक्षण अनुदेशक (पीटीआई) को बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*19. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखण्ड में एक भी स्टेडियम नहीं है, जबकि दरभंगा जिला के गौंड़ाबौराम प्रखण्ड अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक (+2) विद्यालय, आसी में स्टेडियम निर्माण हेतु भू-खण्ड उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भू-खण्ड पर स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पहुँच पथ का निर्माण करना

*20. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखंड के ग्राम-गोवाचक में स्थित प्राथमिक विद्यालय तक जाने हेतु कोई मार्ग नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के लिये कोई रास्ता नहीं होने के कारण वहां पढ़ने वाले बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय हेतु सुगम पहुँच पथ का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*21. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत रैनविष्णु पंचायत के माधोपुर चौधरी ग्राम के मध्य विद्यालय का भवन जर्जर है तथा मौरसंड पंचायत के गैहट ग्राम के मध्य विद्यालय का दो कमरों का खपरैल भवन है जो जर्जर है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन बाधित होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों विद्यालयों में कबतक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों के समान वेतन देना

*22. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा शिक्षक नियोजन नियमावली, 2012 के अन्तर्गत आयोजित STET-2019 के तहत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली वर्ष 2022 में की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक बी०पी०एड० एवं एम०पी०ई०डी० की उपाधि हासिल करने के बाद भी सिर्फ 8,000 रुपया के मासिक मानदेय पर दो वर्षों से काम कर रहे हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि कई शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का घर से कार्यस्थल की दूरी 100-200 कि०मी० के बीच है और 8,000 रुपया के मासिक मानदेय में जीवन-यापन करना काफी कठिन है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को पूर्व नियोजित शारीरिक शिक्षकों के अनुरूप वेतन एवं अन्य सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बसों का परिचालन

*23. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के कुरूम हाट तथा चौकी हाट बाजार से जिला मुख्यालय, कटिहार तक आवागमन हेतु बसों का परिचालन नहीं हो रहा है, जिससे आमजनों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बाजारों से कटिहार मुख्यालय तक बसों के परिचालन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय की स्थापना

*24. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक भी स्नातक स्तरीय महिला महाविद्यालय नहीं होने के कारण बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिये दूर जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र के बाकरपुर पंचायत अन्तर्गत बाकरपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में काफी जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद स्नातक महिला महाविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजापाकर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्नातक स्तरीय महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापन

*25. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत चेरिया बरियारपुर विधान सभा क्षेत्र के तीन प्रखण्ड चेरिया बरियारपुर, खोदावंदपुर एवं छौड़ाही के लिये एक ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर प्रखंड में पदस्थापित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन तीन प्रखंडों में अलग-अलग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदस्थापन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा शुरू करना

*26. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय किशनगंज से टेढागाछ तथा दिघलबैंक तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस का परिचालन नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों मार्ग पर राजकीय बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों को प्रोन्नति देना

*27. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला में स्नातक प्रशिक्षित (कला एवं विज्ञान) शिक्षकों का विभागीय निर्देश तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रोन्नति नहीं दिया गया है, जिससे पूरे जिले में एक भी प्रधानाध्यापक कार्यरत नहीं हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों को 01 अक्टूबर, 2012 से स्नातक कोटि में प्रथम उन्नयन या 01 अक्टूबर, 2023 से मैट्रिक कोटि में द्वितीय वित्तीय उन्नयन (M.A.C.P.) का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुये स्नातक प्रशिक्षित (कला एवं विज्ञान) शिक्षकों को प्रोन्नति देने तथा वित्तीय उन्नयन (M.A.C.P.) का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

*28. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि उच्च विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति प्रबंध कमिटी के द्वारा किया जाता है जिसके पदेन अध्यक्ष माननीय विधायक होते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत घोसी विधान सभा क्षेत्र में प्रबंध कमिटी को जानकारी दिये बगैर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गंगापुर, सैदाबादगिंजी आदि विद्यालयों में विद्यालय के प्रभारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा रात्रि प्रहरी की नियुक्ति कर दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँचोपरांत उक्त विद्यालयों के प्रभारी तथा अधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*29. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत मैनाटांड प्रखंड के मानपुर से गम्हरिया जाने वाली सड़क और मानपुर से लौटकर जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य पर वन विभाग ने रोक लगाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़कों के नहीं बनने के कारण आम जनता के साथ-साथ मानपुर थाने को भी विधि-व्यवस्था कायम रखने के लिये बरसात के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण कार्य पर रोक को हटाते हुये निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का उत्क्रमण

*30. श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड अन्तर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, वृत्त परसौनी खेम के तीन से चार कि०मी० की परिधि में कोई भी मध्य विद्यालय नहीं है, जिससे उक्त क्षेत्र के वर्ग पाँच से ऊपर के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*31. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजकीय संकल्प संख्या-179, दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 के अनुसार राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों की भाँति वेतन भत्ता, एवं अन्य सभी सुविधाएँ अल्पसंख्यक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों, कर्मियों को भी देय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या 554, दिनांक 6 मार्च, 2019 के आलोक में राजकीयकृत परियोजना माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को MACPS की सुविधाएँ उपलब्ध है परन्तु अल्पसंख्यक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को उक्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों, कर्मियों को भी MACPS योजना के अंतर्गत सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*32. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 8 (अरवल सिपाह) में प्रसादी इंगलिश के दिरपाल बिगहा गांव के प्राथमिक विद्यालय, धोबनी भवन विहीन होने के कारण छात्र-छात्रों को पढ़ने में दिक्कत होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिस विद्यालय (जनकपुर, डोमटोली) के साथ धोबनी प्राथमिक विद्यालय को टैग किया गया है वहां छात्रों को जाने के लिये एन०एच० 139, पटना मुख्य नहर के पुल होते हुये अत्यंत व्यस्त सड़कों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण छात्र न तो टैग वाला विद्यालय में जा पाते हैं और न ही उनके महल्ला में पढ़ाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवनहीन विद्यालय का भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास निर्माण कराना

*33. श्री विश्वनाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिये छात्रावास की व्यवस्था नहीं होने के कारण पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का पृथक्कीकरण

*34. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सुलतानगंज प्रखंड के मंझली ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय है, जिसके भवनहीन होने के कारण म०वि०, हथिऔक में मिला दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अब श्रीमती राधा देवी, पति-स्व० नत्थन मंडल द्वारा 9(नौ) डिसमिल जमीन दान में उपलब्ध कराया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय को म०वि०, हथिऔक से अलग करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मंच का निर्माण कराना

*35. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत में बलदेव प्रसाद सुकदेव प्रसाद उच्च विद्यालय, मनिहारी के मैदान में विभिन्न प्रकार के खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ करता है, लेकिन वहां पक्का मंच नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहां प्रेक्षागृह के साथ-साथ मंच के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाना

*36. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर के पीरपैंती एवं कहलगाँव प्रखंड सहित राज्य के अधिकांश अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के लोग भूमिहीन हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमिहीन रहने के कारण बहुत से लोग आवास योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त समाज के भूमिहीनों को चिन्हित कर उन्हें जमीन उपलब्ध करवाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन की व्यवस्था

*37. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत मॉडल स्कूल, शेखपुरा, मॉडल स्कूल, चेवाड़ा एवं मॉडल स्कूल, सर्वा, बरबीघा का लगभग पाँच वर्ष पूर्व से भवन एवं छात्रावास बनकर तैयार है लेकिन विद्यालय में पठन-पाठन संचालित नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित तीनों विद्यालयों में पठन-पाठन के साथ-साथ छात्रावास संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*38. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन में 10+2 स्तरीय उच्च विद्यालय, सोन्था अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी जैसे विषयों के शिक्षक नहीं हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी जैसे विषयों के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्पादन पर से प्रतिबंध हटाना

*39. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्यों के अंदर पासी एवं पासवान समाज के लोग अपनी परम्परागत व्यवसायों के माध्यम से तार एवं खजूर के फल से जूस उतारकर अपने परिवार का जीवकोपार्जन करते आ रहे हैं, जिसे सरकार के द्वारा प्रतिबंधित करके नीरा उद्योग का नामकरण किया गया है, जबकि वैशाली जिला सहित पूरे बिहार में नीरा उत्पादन उद्योग नहीं लगने के कारण इससे जुड़ा परिवार भूखमरी के कगार पर आ गया है, यदि हाँ, तो सरकार नीरा उद्योग को पूरे राज्य में कबतक कार्यान्वित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करना

*40. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के प्रखंड बाजपट्टी के मधुवन बसहा पश्चिमी पंचायत अन्तर्गत ग्राम- बंगराहा की कुल आबादी 3000 (तीन हजार) से अधिक है एवं उक्त ग्राम में एक मध्य विद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम के चौहदी में 5-7 किलो मीटर के अंदर कोई हाई स्कूल नहीं है, जिसके कारण उक्त ग्राम सहित बगल के टोला ग्रामवासियों के बच्चों को हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-बंगराहा के मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*41. श्री विश्वनाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिये छात्रावास की व्यवस्था नहीं होने के कारण पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

*42. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के सदर तथा बरियारपुर प्रखंड में गंगा के बालू का अवैध उत्खनन स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है, जिसके कारण कटाव उत्पन्न होता है तथा बरसात के दिनों में उन जलमग्न गड्ढों में डूबने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अवैध उत्खनन को रोकने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*43. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय, रतनपुर और राजकीयकृत मध्य विद्यालय, मिर्जापुर बन्द्वार, बेगूसराय प्रखंड में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हैवतपुर और बीरपुर प्रखंड में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मखवा का भवन जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जर्जर भवन रहने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और साथ ही शिक्षकों और छात्रों को पठन-पाठन में घोर असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों का भवन निर्माण

*44. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत हसपुरा प्रखंड के आदर्श उच्च विद्यालय, मंदिर बघोई में लगभग 500 बच्चे तथा समता उच्च विद्यालय, मलहरा में लगभग 1000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, परंतु उक्त दोनों विद्यालयों में भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं आने-जाने हेतु रास्ता का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों विद्यालयों में कबतक भवन निर्माण, चापाकल लगवाने, शौचालय बनवाने एवं आने-जाने हेतु रास्ता बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*45. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा 1 प्रखंड के भैरोगंज (10+2) विद्यालय के खेल का मैदान का चहारदीवारी नहीं होने के कारण बच्चों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में बच्चों के खेलने हेतु कबतक स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी लाभ दिलाना

*46. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के निवासी किसी भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दुर्घटना, हत्या अथवा किसी अन्य आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 8,50,000 रुपया की एकमुश्त राशि एवं आश्रित को 7,500 प्रतिमाह पेंशन मिलता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधान सभा के बेहेरी पंचायत अन्तर्गत वार्ड नम्बर 13 में वर्ष 2023 में ही अनुसूचित जाति के श्री बादल ऋषिदेव, पिता-बैजनाथ ऋषिदेव, श्री शिवो राम, पिता-रामजी राम सहित चार व्यक्तियों की मृत्यु बिजली के तार गिरने से करेंट लगने से हो गई, परन्तु इन चारों मृतक के आश्रितों को कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त चारों मृतक के परिवारों को खंड (1) में वर्णित सरकारी लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*47. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत कतरीसराय प्रखंड के ग्राम-पलटपुर में स्थित पलटपुर उच्च विद्यालय प्लस 2 का भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति तीन वर्ष पूर्व ही मिल चुकी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अभीतक शुरू नहीं हो पाया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*48. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा किये गए प्रावधान के बावजूद तारापुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी स्टेडियम नहीं होने के कारण यहां के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का मौका नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक तारापुर में एक आउटडोर स्टेडियम बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण ,

*49. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड-डोभी के ग्राम-नावाडीह में मध्य विद्यालय का संचालन विगत 9 वर्षों से पंचायत भवन में किया जा रहा है, जिससे छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का अपना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

तस्करी पर रोक लगाना

*50. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र जो नेपाल का सीमावर्ती खुला क्षेत्र है, आपराधिक तत्वों द्वारा नेपाल से भारी मात्रा में शराब एवं नशा के अन्य पदार्थों का स्मगलिंग के माध्यम से लाकर इस क्षेत्र के युवाओं को नशा का आदी बनाकर उनके भविष्य को अंधकारमय किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार ऐसे नशाखुरानी एवं अपराधी किस्म के गिरोह के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कदम उठाकर नशीले पदार्थों के तस्करी पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लंबित छात्रवृत्ति राशि का भुगतान

*51. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के सरकारी विद्यालयों की उदासीनता के कारण 393 विद्यालयों के 81,604 छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति का आवेदन सत्यापित नहीं किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि छात्रवृत्ति के आवेदनों के सत्यपान नहीं होने की वजह से करीब 89 करोड़ 76 लाख 44 हजार रूपये छात्रवृति की राशि छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में नहीं पहुंची ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लंबित छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय का निर्माण

*52. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार की नीति है कि राज्य के प्रत्येक अनुमण्डल में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण करना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ अनुमण्डल में सरकारी जमीन की उपलब्धता के बाद भी अभी तक कोई डिग्री महाविद्यालय की स्थापना नहीं होने से क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महुआ अनुमण्डल के महुआ प्रखंड या चेहराकला प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिथि शिक्षकों को स्थाई करना

*53. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के +2 विद्यालयों में 2018 में ही अतिथि शिक्षकों की बहाली शिक्षकों के कमी के कारण की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के +2 विद्यालयों में 2018 से ही विद्यालयों में सामान्य शिक्षक की तरह अतिथि शिक्षक भी पठन-पाठन के कार्यों में अपना योगदान देते रहे हैं, साथ ही सरकार के द्वारा निर्देशित जनगणना एवं चुनाव कार्यों में भी अपना योगदान देते रहे हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि स्थाई शिक्षक की बहाली होने के कारण +2 विद्यालयों से अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिथि शिक्षकों को स्थाई शिक्षक के रूप में समायोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवनों का निर्माण

*54. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत श्यामपुर पंचायत के मकसपुर गांव में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड नहीं है, जबकि उक्त बस्ती में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी पांच सौ से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है सरकारी प्रावधान के तहत पांच सौ आबादी वाले महादलित बस्ती में महादलित सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टोला में महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*55. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा विभागीय ज्ञापांक-257, दिनांक 6 मार्च, 2023 को जिला पदाधिकारी, दरभंगा से दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड के कमतौल पंचायत अंतर्गत जे0 एम0 उच्च विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कार्य में विलम्ब होने के कारण दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने सम्बन्धी पत्र प्रेषित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा ज्ञापांक 91/जि0वि0, दिनांक 15 अप्रील, 2023 को संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को तत्कालीन अभियंता श्री आदिल नासरी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर अग्रेतर करने हेतु पत्र भेजा था ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्टेडियम निर्माण में पाए गए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परिवहन कार्यालय बनाना

*56. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (क्षेत्र संख्या-1 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा अनुमण्डल में सात प्रखंड होने के बावजूद आजतक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का निर्माण नहीं हुआ है जिसके कारण उन प्रखंडों में आम जनता को 40 से 70 कि0मी0 की दूरी तयकर बेतिया स्थित परिवहन कार्यालय में लाईसेंस बनवाने जाना पड़ता है जिससे समय और आर्थिक हानि होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बगहा अनुमण्डल में परिवहन कार्यालय खोलने का विचार रखती है ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*57. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कलेर प्रखंड के सरवरपुर, सोहसा, कामता मठिया, करपी प्रखंड के मियां बाग, रामपुर चाय, बासटॉड, घराना कुर्था प्रखंड के निघमा, राजोपुर में मॉडल सामुदायिक भवन निर्माण के लिए जमीन व अन्य मानक उपलब्ध होने के बावजूद अभी तक निर्माण के लिए कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गांवो में सामुदायिक भवन निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*58. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियाँ (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के मोहनियाँ प्रखंड अन्तर्गत अकोढ़ी पंचायत के ग्राम-कुरई में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मात्र दो कमरों में चलती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का चहारदीवारी नहीं होने के कारण पठन-पाठन बाधित होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय भवन के साथ-साथ चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*59. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखण्ड रफीगंज के ग्राम पंचायत अरर्थुआ में "गर्वमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरथुआं, औरंगाबाद" स्थित है जिसमें निविदा के प्रारूप, प्राक्कलन एवं मापदंड के अनुरूप फर्नीचर एवं संबंधित सामग्री संवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिस कारण अल्प समय में ही फर्नीचर टूटने लगा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक एवं पदाधिकारी की मिली भगत से सभी कार्यों को कराने में भारी अनियमितता बरती गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता में संलिप्त सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कंपनी को भुगतान करना

*60. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि US Infotech Company को बिहार संगीत अकादमी के माध्यम से प्रेमचंद रंगशाला में बागवानी सुरक्षा एवं साफ-सफाई हेतु विभागीय पत्रांक 227/12, दिनांक 30 अगस्त, 2012 के द्वारा कार्य का आवंटन किया गया था जिसकी कार्यावधि जुलाई, 2022 में समाप्त होने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी को किये गये कार्य के लिये भुगतान करने एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की पदस्थापना

*61. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पीरपैंती विधान सभा के प्रत्येक पंचायतों में एक-एक इंटरस्तरीय उच्च विद्यालय की व्यवस्था सरकार ने कर दी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त इंटरस्तरीय उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण पठन-पाठन का कार्य बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की पदस्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*62. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के धरहरा प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2008 में मिली थी, परंतु स्थल चयन न होने के चलते उस समय कार्य प्रारंभ नहीं हो सका ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित स्टेडियम के लिये वर्ष 2008 में स्वीकृत राशि का पुनरीक्षित आकलन कर समुचित राशि विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं करने के कारण कार्य लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुराने दर पर स्वीकृत राशि को पुनरीक्षित कर नये दर पर राशि स्वीकृत कर स्टेडियम बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कमरा का निर्माण

*63. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड कोटवा में शिवधर अनूठा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या 2800 के करीब होने के कारण वर्ग कक्ष के अभाव में 2 शिफ्ट में वर्ग का संचालन करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ग 9 से वर्ग 10 के छात्र-छात्राओं को वर्ग भवन के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कमरा बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण कराना

*64. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा नियोजित महिला एवं विकलांग शिक्षकों की असुविधा के मद्देनजर नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली में उन्हें गृह जिला में स्थानान्तरित करने का प्रावधान वर्ष 2020 में किया गया था, लेकिन स्थानान्तरण की प्रक्रिया अभीतक प्रारंभ नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के नियोजित महिला एवं विकलांग शिक्षकों के उनके गृह जिला में कबतक स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रोक लगाना

*65. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केवल किशनगंज जिला में DEO द्वारा प्रात: 09 बजे एवं संध्या 04 बजे शिक्षकों द्वारा सेल्फी फोटो भेजने का निर्देश दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार केवल किशनगंज जिला में लागू उक्त निर्देश पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय की स्थापना

*66. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्र-छात्राओं के लिये एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है, जबकि उक्त प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों की आबादी अधिक है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की कमियां दूर कराना

*67. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर विधान सभा क्षेत्र के सोनपुर प्रखंड के अन्तर्गत कल्याणपुर पंचायत के कल्याणपुर एवं सेमरा ग्राम में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सेमरा का भवन जर्जर अवस्था में है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है तथा छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित विद्यालयों में उक्त सभी कमियों को दूर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*68. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''सूबे के 50 प्रतिशत CBSE स्कूलों में खेल के मैदान नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में कुल 1312 मान्यता प्राप्त CBSE स्कूलों में से 604 स्कूल बिना खेल मैदान के संचालित है जबकि नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत खेल SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) के अनुसार खेल मैदान का होना अनिवार्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में खेल मैदान नहीं होने के कारण बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त खेल विहीन स्कूलों पर खेल मैदान निर्माण हेतु कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*69. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पनहर, प्राथमिक विद्यालय, काजी विगहा, भवानीपुर स्कूल सहित अन्य दस विद्यालयों में वर्ष 2015-16 से कुछ फर्जी नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फर्जी नियोजनकर्त्ता के खिलाफ करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*70. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोतिहारी विधान सभा क्षेत्र के मोतिहारी/पिपराकोठी प्रखंड तथा मोतिहारी नगर निगम के 42 विद्यालय भवनहीन है, जिसमें 18 विद्यालय का भूमि चयनित हो गया है, परन्तु अभीतक भवन निर्माण नहीं हुआ है जिस कारण से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है,यदि हाँ, तो सरकार भवनहीन विद्यालयों के चयनित स्थल पर भवन निर्माण कराने तथा बचे हुये विद्यालयों के लिये भूमि का चयन कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्र खोलना

*71. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत प्रखंड सिसवन अन्तर्गत भागड़ पंचायत के वार्ड 9 के नई बस्ती में आँगनबाड़ी केन्द्र नहीं है, जिससे गरीब बच्चों को दूसरे केन्द्र पर दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित पंचायत में आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*72. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत लखावर गाँव में उच्च विद्यालय तथा स्टेडियम के बीच खाली मैदान उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाली मैदान में कबतक पार्क निर्माण कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बसों का परिचालन

*73. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के ज्यादातर जिलों में अवस्थित राजकीय अभियंत्रण (इंजीनीयरिंग) कॉलेज जिला मुख्यालय में अत्यधिक दूरी पर स्थित है जिससे वहां विद्यार्थियों को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जिला मुख्यालय से विद्यार्थियों को कॉलेज तक आने-जाने के लिये कॉलेज बस उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*74. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अंतर्गत अकिलपुर पंचायत के उत्तर में अवस्थित रामदासचक, सलहली एवं पकौलिया तीनों ग्राम में एक भी प्राथमिक एवं सरकारी मध्य विद्यालय नहीं है, जिसके कारण उक्त ग्राम के बच्चे आज भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्रामों में से किसी एक ग्राम में प्राथमिक या मध्य विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण

*75. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबुबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ प्रखंड के कुमरखत पूर्वी पंचायत में कमतौलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय एन०एच० 227 से सटे होने तथा विद्यालय की चहारदीवारी नहीं रहने से असामाजिक तत्वों का विद्यालय में जमावड़ा बना रहता है तथा पशुओं का हमेशा विचरण होता है, जिसके कारण लगभग 700 विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त बहाली का औचित्य

*76. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 2 अगस्त, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''राज्य के स्कूलों में 30379 शौचालय बेकार'' के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के 1544 विद्यालयों में 3486 शौचालयों सहित पूरे राज्य के 489 प्रखंडों के 11717 सरकारी विद्यालयों में बने 30379 शौचालय पूरी तरह अक्रियाशील है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शौचालयों को दुरूस्त और निर्माण करने के लिये विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के द्वारा सिविल इंजीनियरों की नियुक्ति की गयी है जबकि विभाग में पूर्व से इंजीनियर कार्यरत हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विभाग में पूर्व से कार्यरत इंजीनियरों के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग से इंजीनियरों की बहाली करने और शौचालय के अक्रियाशील रहने का क्या औचित्य है ?

नियोजन की कार्रवाई

*77. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1332/स्था0, दिनांक 2 मई, 2015 के माध्यम से काशीचक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को वर्ष 2008 के शेष 36 पदों पर नियोजन का आदेश दिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपीलीय प्राधिकार तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के बावजूद अबतक नियोजन की कार्रवाई सम्पन्न नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में बचे हुये लोगों के नियोजन की कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*78. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड-मोहड़ा के ग्राम-अरई केशोपुर में प्राथमिक विद्यालय है जो अरई केशोपुर के टोला-वेदलारी से 3 किलो मीटर दूर है जिस कारण यहाँ के बच्चे उक्त विद्यालय में दूरी की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त टोला में कबतक प्राथमिक विद्यालय निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संग्रहालयाध्यक्ष की नियुक्ति

*79. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''चार सहायक संग्रहालयाध्यक्ष के जिम्मे राज्य के 26 संग्रहालय'' को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के चार सहायक संग्रहालयाध्यक्ष के जिम्मे 26 संग्रहालयों का प्रभार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संग्रहालयाध्यक्ष के पद रिक्त रहने के कारण संग्रहालयों का कार्य बाधित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संग्रहालयाध्यक्ष के रिक्त पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस परिचालन कराना

*80. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी से शिवहर एवं ढाका होते हुये मोतिहारी तक बस नहीं चलती है जिसके कारण आमलोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्ग पर बस का परिचालन कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अवसर प्रदान कराना

*81. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति अन्य विषयों के शिक्षकों की तरह नियोजन से किया गया है साथ ही उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान की तरह वेतन भी मिलता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अन्य विषयों के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया लेकिन सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद शारीरिक शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शारीरिक शिक्षकों को भी प्रधानाध्यापक के पद के लिये आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का मौका देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लॉ कॉलेज की स्थापना

*82. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर में विधि विश्वविद्यालय (लॉ कॉलेज) नहीं रहने के कारण लॉ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार भागलपुर में कबतक लॉ कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस सेवा प्रारंभ करना

*83. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के लाला छपरा से गोछी कुशहर, बैरिया पंचायत होते हुये मुजफ्फरपुर एवं लाला छपरा से मोतिहारी तक सरकारी बस सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण गरीबों को सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त लाला छपरा से गोछी कुशहर, बैरिया पंचायत होते हुये मुजफ्फरपुर एवं लाला छपरा से मोतिहारी तक सरकारी बस सेवा प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में प्रबंधन एवं शिक्षा समिति का गठन

*84. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राजकीय मध्य विद्यालय प्रबंध एवं नियंत्रण अधिनियम, 1961 के तहत राज्य के सभी उच्च माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षा समिति का गठन किया जाता है, जिसके पदेन अध्यक्ष स्थानीय विधान सभा सदस्य होते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि चिरैया विधान सभा अन्तर्गत पताही प्रखंड के गोनाही पंचायत में स्थित उच्च विद्यालय, गोनाही में अभीतक प्रबंधन एवं शिक्ष समिति का गठन नहीं किया गया है तथा प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के मिलीभगत से वित्तीय अनियमितता बरती गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में प्रबंधन एवं शिक्षा समिति का गठन कराने तथा विद्यालय में बने भवन निर्माण सहित अन्य कार्यों में हुई अनियमितता की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*85. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के बिघौर, कमरौल, शिकारपुर, दासग्राम, बसलगाँव, करणपुर पंचायतों की 70 हजार जनता महानंदा नदी के पूर्वी छोर पर अवस्थित होने के कारण प्रखंड मुख्यालय से कटी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र की जनता के लिये एक भी खेल के मैदान में स्टेडियम नहीं है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिघौर इन पंचायतों के मध्य में अवस्थित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिघौर के खेल मैदान में एक स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का जीर्णोद्धार

*86. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा प्रखंड के पंचायत मटियारकला में उच्च माध्यमिक विद्यालय, मटियारकला का भवन जर्जर होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति करना

*87. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केवटी विधान सभा अंतर्गत दिघवारा प्रखंड के उच्च विद्यालय, दरवारा एवं केवटी प्रखंड के उच्च विद्यालय, खिरमा सहित विभिन्न उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है कई विद्यालयों में एक या दो शिक्षक के द्वारा ही विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, यदि हाँ, तो कबतक सरकार प्रदेश के सभी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में सभी विषय के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*88. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड बोचहाँ के मध्य विद्यालय, उन्नसर एवं मध्य विद्यालय, गोपालपुर, बहलोलपुर घाट का भवन जर्जर है जिसके कारण छात्र एवं शिक्षक असुरक्षित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

*89. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड में 15वें वित्त आयोग मद में क्रियान्वित कराई गई योजना में अनियमितता के आलोक में ज्ञापांक-138/पं0, दिनांक 31 मार्च, 2022 के माध्यम से निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर की अध्यक्षता में जाँच टीम का गठन किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि गठित जाँच दल द्वारा ज्ञापांक-386/पं0, दिनांक 7 मार्च, 2022 के माध्यम से प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में तत्कालीन प्रखंड प्रमुख एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुर्गावती पर कानूनी कार्रवाई करते हुये अवैध निकासी की राशि वसूलने को कहा गया था, लेकिन अभी तक प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपुर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनियमितता करने वाले तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए अवैध राशि वसूलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*90. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड अतरी के ग्राम-दौलतपुर में प्राथमिक विद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर रहने के कारण मध्य विद्यालय, टेटुआ में मिलाकर बच्चों का पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है, जिससे बच्चों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के विद्यालय का पुनः भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय का निर्माण

*91. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के रोह प्रखंड में एक भी डॉ0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय नहीं रहने के कारण वहाँ के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में डॉ0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय की स्थापना

*92. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा में प्रखण्ड कोचाधामन अन्तर्गत पंचायतों में एक भी पुस्तकालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायतों में पुस्तकालय के लिए पंचायत भवन में एक कमरा आवंटित करने का प्रावधान है जहाँ स्थानीय बच्चों, स्कूली छात्र-छात्राओं एवं वरीय नागरिकों के अध्ययन हेतु पुस्तक उपलब्ध कराया जाना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायतों में पुस्तकालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*93. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत मैनाटांड के बभनौली गाँव में प्राथमिक विद्यालय, बभनौली एक कमरे के भवन में चलता है एवं सड़क का पानी भी स्कूल में घुस जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के स्व0 बोधा पाण्डेय ने वर्ष 1962 में ही स्कूल के लिए एक दूसरी जमीन राज्यपाल के नाम पर रजिस्ट्री कर दी थी, जो अभीतक खाली पड़ी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व0 बोधी पाण्डेय के द्वारा राज्यपाल को दी गई जमीन पर स्कूल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*94. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के गोविन्दपुर विधान सभा क्षेत्र के खखंदुआ से अेवैया, सेखोदेवरा से रानीगढ़, कौआकोल, जमुई पथ से महुलियाटाड पथ से भरूईया नदी पर पुल एवं मननपुर से गायघाट तक वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होने के कारण निर्माण कार्य अधर में है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पथों एवं पुलों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*95. श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बरारी प्रखंड में स्थित गुरूनानक कन्या उ0वि0 एवं जागेश्वर उ0वि0, बरारी में सर्वशिक्षा अभियान के तहत कराये जा रहे भवन निर्माण के कार्य में गुणवत्ताविहिन कार्य करने के कारण उक्त विद्यालय भवन का दीवाल गिर गया है तथा अन्य दीवाल गिरने की संभावना है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी संवेदक एवं पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के साथ उक्त विद्यालय के भवन का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाना

*96. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड में NH-57 के रामपुर ओभरब्रिज से रानीगंज होते हुये कुर्सेला तक जाने वाली सड़क पर नेपाल से आने-जाने वाली सभी भारी वाहन फारबिसगंज से पूर्णियाँ होते हुये कुर्सेला तक फोरलेन सड़क उपलब्ध होने के बावजूद केवल टौल टैक्स बचाने के लिये गुजरती है, जिससे प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में आमजन मौत के शिकार होते रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फारबिसगंज प्रखंड के इस सड़क पर नेपाल से आने-जाने वाली सभी भारी वाहनों पर रोक लगाते हुये फारबिसगंज से पूर्णियाँ होकर कुर्सेला तक फोरलेन सड़क से चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त कमरों का निर्माण

*97. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत गुठनी प्रखण्ड, पंचायत-जतौर के ग्राम-भलुई स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भलुई में छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग दो सौ है, परंतु पठन-पाठन हेतु मात्र दो कमरा ही है, जो जर्जर हालत में है, यदि हाँ, तो सरकार दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण एवं जर्जर कमरों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय का 10+2 में उत्क्रमण

*98. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रफीगंज के पंचायत चौबड़ा में उच्च विद्यालय नहीं है और ग्राम-काजीचक में गवर्मेंट उर्दू मध्य विद्यालय है जो कक्षा 8 तक ही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्रा एवं छात्राओं को पढ़ने हेतु 2 किलोमीटर दूर रामपुर जाना पड़ता है, जबकि इस ग्राम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 750 से अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार काजीचक गवर्मेंट उर्दू मध्य विद्यालय को कक्षा 10+2 में अपग्रेड करने के साथ-साथ अतिरिक्त कमरा निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कक्ष की कमी को दूर करना

*99. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत बिहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत-धर्मपुररत्ती के जयरामपुर ग्राम में कन्या प्राथमिक विद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में प्रथम से पंचम वर्ग तक की पढ़ाई होती है, लेकिन विद्यालय में कक्ष की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय में कक्ष की कमी को दूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बालिका छात्रावास का निर्माण

*100. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति बालिका छात्रावास नहीं है, जिसके कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति वर्ग की बालिकाएँ जो सुदूर इलाके में रहती है, को पठन-पाठन में काफी

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति बालिका छात्रावास निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई से अवगत कराना

*101. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय कार्यकलाप के संबंध में विभाग को पत्रांक 99, दिनांक 25 अगस्त, 2023 लिखा गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव के पत्रांक 869, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 द्वारा यह आदेश निर्गत है कि माननीय सदस्य के पत्र लिखने पर पंद्रह दिनों के अंदर प्राप्ति एवं एक माह के अंदर कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाना है, परंतु प्रश्नकर्ता को विभाग द्वारा आजतक कृत कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्रवाई करते हुये प्रश्नकर्ता को कृत कार्रवाई से अवगत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*102. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत खरीक प्रखंड के भवनपुरा पंचायत के अनुसूचित जाति टोला में प्राथमिक विद्यालय, भवनपुरा है जिसका अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के लिये जमीन उपलब्ध कराकर स्कूल का अपना भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कला मंच का निर्माण

*103. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत मैरवा नगर पंचायत में कला मंच (टाउन हॉल) नहीं होने से सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कला क्षेत्र में विकास हेतु मैरवा नगर पंचायत में कला मंच का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय चालू कराना

*104. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 अगस्त, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "निरीक्षण: स्कूलों में बंद मिले 30 हजार शौचालय" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के समस्तीपुर 746, भोजपुर 1046, पूर्वी चम्पारण 1628, कटिहार 2280, रोहतास 2000, सुपौल 2152, औरंगाबाद 3486 सहित राज्य के 36 जिलों के 489 प्रखंडों के स्कूलों में कुल 30 हजार 131 शौचालय बंद पड़े हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्कूलों के शौचालय में कुंडी, दरवाजा, पानी की व्यवस्था नहीं होने एवं गंदगी के कारण छात्र-छात्राओं को दैनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े शौचालय को नियमित रूप से चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुविधाओं का लाभ दिलाना

*105. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड में मान्यता प्राप्त मदरसा के छात्रों को सरकार की ओर से मध्याह्न भोजन, पोषण राशि व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसा के छात्रों को उक्त सुविधाओं का लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन विसंगति को दूर करना

*106. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि उप-शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के ज्ञापांक 11/वि० 1-08/2013 (अंश-3/1690/29 अगस्त, 2022 द्वारा प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने हेतु वर्ष 2021 में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि समिति द्वारा रिपोर्ट समय-सीमा के अंदर शिक्षा विभाग को समर्पित किया गया है, लेकिन विभाग द्वारा वेतन विसंगति को दूर करने का अभीतक कोई निर्णय नहीं लिया है, फलस्वरूप संबंधित शिक्षकों को वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुये शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति कराना

*107. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 247, दिनांक 16 अगस्त, 2023 द्वारा सरकारी विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली समेत साफ-सफाई अतिथि शिक्षक बहाली, पूर्वाह्न भोजन तैयार करना समेत कई कार्यों को आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा करवाने का आदेश जारी हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तय एजेंसियों द्वारा बहाल रात्रि प्रहरी का वेतन 10,881 रुपया निर्धारित किया गया है जबकि सरकार के नियमावली के अनुसार पूर्व में बहाली और कार्यरत रात्रि प्रहरियों को केवल 5,000 रुपया वेतन अनियमित रूप से मिलता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालयों में उक्त पदों पर विभाग के माध्यम से बहाली करने तथा सभी रात्रि प्रहरियों का सामान रूप से 10,881 रुपये वेतन नियमित रूप से देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना

*108. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड में बालिका उच्च विद्यालय

नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की बालिकाओं को विशेष कर पिछड़े वर्ग, अतिपिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण रोस्टर लागू किया जाना

*109. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं निदेशक मध्याह्न भोजन सहित अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न पदों पर बहाली (सेवा उपलब्ध करायी) की गयी है जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया, यदि हाँ, तो सरकार इस बहाली प्रक्रिया में लगे हुये संस्थाओं पर कार्रवाई करते हुये आरक्षण रोस्टर लागू करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*110. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र अवस्थित टी०पी० वर्मा कॉलेज के बीएड में अवैध रूप से शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी की नियुक्ति एवं सेवा विस्तार किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय के बी०एड० संकाय में कंप्यूटर असिस्टेंड की नियुक्ति फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर की गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में प्राचार्य, पी०टी०आई० शिक्षक, कम्प्यूटर असिस्टेंट एवं लेखापाल की मिली भगत से खेल-कूद के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी की गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कॉलेज में अवैध रूप से नियुक्ति कम्प्यूटर असिस्टेंड, सेवा विस्तार पी०टी० आई शिक्षक सहित अवैध निकासी की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष का निर्माण

*111. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार की वर्तमान व्यवस्था के तहत प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की अधिकतम उपस्थिति की स्थिति में वर्ग कक्ष एवं बेंच की समुचित व्यवस्था की जानी है, परन्तु बेगूसराय जिलान्तर्गत मटिहानी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, आकाशपुर एवं नगर निगम वार्ड नंबर-17 अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, पत्तापुर में छात्र-छात्राओं की अधिकतम उपस्थिति के अनुसार बेंच-डेस्क नहीं होने के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्राथमिक विद्यालयों के वर्ग कक्ष निर्माण एवं बैठने की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष का निर्माण

*112. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010 से 2015 के बीच +2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग कक्ष (भवन) का निर्माण कार्य अबतक अधूरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इनमें से मधेपुर प्रखंड में विदेश्वर गुणेश्वर +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीठ भगवानपुर का वर्ग कक्ष आजतक अधूरा रहने से बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 2010–15 में अधूरे पड़े विदेश्वर गुणेश्वर +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीठ भगवानपुर का वर्ग कक्ष निर्माण पूर्ण कराने के विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*113. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरौली का खेल मैदान अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक खेल मैदान है, जहां एक बड़े स्टेडियम का अभाव है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार प्रत्येक प्रखंड में भव्य एवं सुन्दर स्टेडियम बनाने की योजना चल रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदान में नये स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शराब की तस्करी बंद कराना

*114. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''जाँच में 85 फीसदी शराब निकल रही नकली'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जब्त होने वाले तस्करी की शराब 80–85 प्रतिशत नकली होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शराब के तस्कर भारी मात्रा में अवैध शराब का व्यापार राज्य के अंदर तस्करी के द्वारा कर रहे हैं एवं आसानी से राज्य के अंदर अवैध शराब उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भारी मात्रा में जब्त किये जा रहे नकली शराब के अतिपूर्तिकर्ताओं की पहचान कर पूर्ण रूप से शराब की तस्करी बंद कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*115. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीयं वर्ष 2014-15 में नेपाल सिंह उच्च विद्यालय, गवन्द्री में आउटडोर स्टेडियम निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई थी परंतु उक्त विद्यालय में अभीतक स्टेडियम निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*116. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत कोच प्रखंड में अनुसूचित जाति के लिये आवासीय विद्यालय नहीं है जबकि कोच प्रखंड में सरकारी जमीन उपलब्ध है एवं यह प्रखंड आवासीय विद्यालय बनाने की सभी अर्हता पूर्ण करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कोच प्रखंड में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की कठिनाई को दूर करना

*117. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू किया गया जिसके तहत वर्ष 2022 में शिक्षकों का नियोजन किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नियोजन में वर्ग 1-5 में बी0 एड0 योग्यताधारी शिक्षकों का नियोजन किया गया था, जिन्हें दो वर्षों के अन्दर एन0सी0टी0ई0 (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु (ब्रिज कोर्स) पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा कराना था, जो अभीतक नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बेंच-डेस्क उपलब्ध कराना

*118. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में बेंच-डेस्क के लिये 6 (छः) माह पूर्व 89 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था परंतु वह राशि अबतक संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे बच्चों को जमीन् पर बैठकर पठन-पाठन करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक संबंधित विद्यालयों को राशि आवंटित कर बेंच-डेस्क उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जुर्माना राशि घटाना

*119. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में सिर्फ लघु खनिज (बालू एवं पत्थर) के ओवरलोडिंग पर ही 25 गुणा जुर्माना का प्रावधान है जबकि अन्य वस्तु के ओवरलोडिंग पर इतना जुर्माना नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार जुर्माना की राशि 25 गुणा से घटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*120. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी प्रखंड अन्तर्गत गुलाब बुबना उच्च विद्यालय का भवन जर्जर हो जाने के कारण कभी भी किसी गंभीर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*121. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के देव, कुटुम्बा एवं नबीनगर प्रखंडों में डॉ0 भीम राव अम्बेडकर आवासीय छात्रावास (720 शैय्या) निर्माण का प्रस्ताव है, किन्तु अभीतक उक्त छात्रावासों के निर्माण की कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*122. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत बौंसी प्रखंड में सरूआ पंचायत के रतनसार ग्राम में सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि उक्त गाँव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बसावट मानक पैमाना 500 से अधिक आबादी या 100 से अधिक घर है, जिससे ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँव में सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण

*123. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा विधान सभा अन्तर्गत सैसड़ उच्च विद्यालय, बलदेव उच्च विद्यालय, दिनारा, राज राजेश्वरी उच्च विद्यालय, सूर्यपरा, बलराम भगत उच्च विद्यालय, गोसलडीह एवं जगनारायण दूबे उच्च विद्यालय, कोवाथ में छात्र-छात्राओं की संख्या 3000 से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त विद्यालयों में कमरों की संख्या कम होने से पठन-पाठन में कठिनाई होती है, जिसके कारण उपस्थिति भी कम रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*124. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नबीनगर प्रखंड अन्तर्गत रामनगर पंचायत के करमा लहँग ग्राम में स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय मात्र दो कमरों में संचालित होने से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के नये भवन के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*125. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत ओबरा प्रखंड के राजकीयकृत उच्च विद्यालय, चंदा में विद्यालय का भवन जीर्ण-शीर्ण है जिसके कारण बच्चे-बच्चियों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित उच्च विद्यालय में अतिरिक्त कमरों एवं भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मिनी स्टेडियम का निर्माण

*126. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सभी प्रखंडों में मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के प्रखंड अन्धराठाढ़ी में मिनी स्टेडियम बनाने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन विभाग को दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में मिनी स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

त्रुटियों का निराकरण.

*127. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती BPSC-TRE, 2023 के लिए घोषित परिणाम में एक ही अभ्यर्थियों का कई पदों पर रिजल्ट देना, पूर्व से नियोजित शिक्षकों को भी नए घोषित रिक्त पदों में शामिल करना, न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को सीट रिक्त होने पर भी अंतिम परिणाम में शामिल नहीं करने जैसी कई त्रुटियाँ सामने आई हैं, जिससे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों में निराशा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त परिणाम की त्रुटियों को दूर करने तथा न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों से शेष रिक्त पदों के लिए सेकण्ड लिस्ट जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पड़ाव की समुचित व्यवस्था

*128. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तारापुर जिला परिषद् परिसर स्थित बस पड़ाव में बस तथा रिक्शा आदि के पड़ाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बस एवं रिक्शा पड़ाव का स्थान निर्धारित करते हुए यहां पड़ाव की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जांच कराना

*129. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत भगीरथ उच्च विद्यालय, चैनपुर, पड़री के प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय के लेखन सामग्रियों के खरीद-बिक्री में स्वेच्छाचारिता, अनियमितता और सरकारी नियमों की अवज्ञा के विरूद्ध विद्यालय के छात्राओं द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2020 को क्षेत्रीय उप-निदेशक शिक्षा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को आवेदन दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि चैनपुर के ग्रामीणों के द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा को उक्त प्रधानाध्यापक के मनमानी एवं कुप्रबंधन के विरूद्ध मार्च, 2022 माह में आवेदन दिया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रधानाध्यापक द्वारा की गयी अनियमितता की जांच कराकर नियमानुसार दंडित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इंटरस्तरीय भवन का निर्माण

*130. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखंड के इंटरस्तरीय विद्यालय एकचारी में 1617 नामांकित छात्र-छात्राएं मात्र 6 कमरों में कक्षा-9 से इंटर तक की पढ़ाई करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में इंटरस्तरीय भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में इंटरस्तरीय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*131. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत जीरादेई प्रखंड में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, छोटका माझा है जो मध्य विद्यालय के भवन में ही चलता है तथा भवन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय के पश्चिम में पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है जिसपर विद्यालय भवन का निर्माण किया जा सकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर विद्यालय के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*132. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत गढ़पुरा के कोरियामा पंचायत के वार्ड नम्बर-07 पार्वतीपुर ग्राम में छात्रों के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं है, जिसके कारण बच्चों को प्राथमिकी शिक्षा के लिए 3 किलो मीटर दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार स्थानीय छात्रों के लिए उक्त ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक एवं नियुक्ति

*133. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड के पताही पश्चिमी ग्राम पंचायत के उच्च विद्यालय, बेला बैजू में प्रधानाध्यापक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के मिलीभगत से लगभग 2 साल से विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक तथा रात्रि प्रहरी की नियुक्ति नहीं की गई है तथा विद्यालय कार्य में अनियमितता बरती जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रबंधन समिति की बैठक कराने तथा रात्रि प्रहरी की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान को सुविधा युक्त करना

*134. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय में हाई स्कूल खेल मैदान पुरानी बाजार में है, जिसमें महिला फुटबॉल मैच तथा क्रिकेट मैच का राज्यस्तरीय आयोजन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मैदान में आधुनिक सुविधा का घोर अभाव है, जिससे दिवा रात्रि मैच के आयोजन करने में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदान को आधुनिक सुविधा युक्त बनाने हेतु फ्लडइ लाइट का अधिष्ठापन, दर्शक दीघा, ड्रेसिंग रूम का निर्माण एवं ग्राउंड को विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*135. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के +2 रामनंदन उच्च विद्यालय, रमै एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, माणिकपुर बारा सहित फारबिसगंज विधान सभा के अन्य उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों एवं मध्य विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण भवन का काँच का खिड़की, किवाड़ क्षतिग्रस्त होने एवं पशुओं का चरागाह बने रहने तथा रात्रि के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगे रहने से विद्यालय की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फारबिसगंज प्रखंड के उपरोक्त वर्णित विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्रों में सुविधाएं देना

*136. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 15 अक्टूबर, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "आँगनबाड़ी केन्द्रों में नहीं मिल रही शुद्ध पानी व शौचालय की सुविधा" के आलोक में क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 1 लाख 12 हजार आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनमें से लगभग 50 हजार केन्द्रों पर शुद्ध पानी एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने से बच्चों एवं कार्य करने वाले कर्मचारियों को काफी असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों की नियमित जाँच नहीं की जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में संचालित सुविधा विहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सभी सुविधाएँ बहाल करते हुये केन्द्रों की नियमित जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का पद सृजन

*137. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सुल्तानपुर प्रखंड स्थित मुरारका महाविद्यालय, सुल्तानगंज में स्नातक स्तर तक कॉमर्स (वाणिज्य), समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान विषयों के शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर द्वारा प्रक्रिया पूरी कर विभाग में जमा किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिना पद सृजन के कॉलेजों में किसी भी विषय में पढ़ाई नहीं होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विषयों में मुरारका महाविद्यालय, सुल्तानगंज में शिक्षक के पद सृजित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*138. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के प्रखंड राजनगर के गाँव-चपाही में प्राथमिक विद्यालय भवन की राशि विभाग से दिया गया था परन्तु उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भवन का कार्य शुरू किया गया एवं छत का छड़ बाँधकर छोड़ दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि 8 वर्षों से उक्त भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवन को बनाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*139. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत महनार प्रखंड में अवस्थित बालक उच्च विद्यालय में जमीन उपलब्ध है लेकिन खेल का मैदान नहीं होने से वहां के छात्र/छात्राओं को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में खेल के मैदान का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुंगेर विश्वविद्यालय का विस्तारीकरण

*140. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा मुंगेर विश्वविद्यालय को 120 एकड़ जमीन उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया था परंतु सरकार द्वारा मात्र 20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मुंगेर विश्वविद्यालय को 120 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाकर भविष्य में होने वाले विस्तार को सुगम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी का स्थानांतरण

*141. श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में डीपीओ के पद पर तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित पदाधिकारी को फिर से जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है, वे तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित हैं जो विभागीय नियमावली के विरुद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त पदाधिकारी का स्थानांतरण अन्यत्र कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*142. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-मिल्की के प्राथमिक विद्यालय, मिल्की, ग्राम-हनुमानगंज के प्राथमिक विद्यालय, हनुमानगंज, ग्राम-बहादुरपुर के प्राथमिक विद्यालय, बहादुरपुर का भवन जर्जर है, जिसके कारण बच्चों के पठन-पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*143. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा

करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत हस्वापुर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, नागराज पोखरा नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, प्यारेपुर महादलित टोला सहित पूरे राज्य में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के भवनविहीन होने के कारण छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन पास के किसी अन्य दूसरे विद्यालय में हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में कबतक नये भवन निर्माण कराने हेतु विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*144. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखण्ड अन्तर्गत राजन पंचायत के ग्राम-राजन में विगत 40 वर्ष पूर्व से प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय सरकारी भूमि भी उपलब्धता के बावजूद विगत 10 वर्षों से गाँव के ही पंचायत भवन में संचालित हो रहा है, जिसमें बच्चों की संख्या 165 एवं शिक्षकों की संख्या 04 है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*145. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत गुणवंती में स्थित बालिका उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, गुणवंती का चहारदीवारी के अभाव में खुले परिसर में संचालन किया जा रहा है जिससे विद्यालय प्रबंधन एवं बालिकाओं के लिये सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैजू धाम महोत्सव का आयोजन

*146. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखण्ड अन्तर्गत बेलौटी पंचायत में प्रसिद्ध बैजूधाम पर्यटक स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों-हजार की संख्या में ग्रामीण एवं अन्य यात्री पूजा-पाठ करने हेतु आते रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर पहुँचकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी द्वारा वर्ष 2000 में प्रत्येक वर्ष बैजूधाम महोत्सव कराने की घोषणा की थी, साथ ही वर्ष 2014 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी द्वारा भी बैजूधाम महोत्सव मनाने की घोषणा की गयी थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घोषणा के आलोक में विभागीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष बैजूधाम महोत्सव कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राज कुमार-1,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक 07 नवम्बर, 2023 (ई०)।